राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1081/2025

रोहिताश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप निदेशक, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
4. भुपेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक कृषि (वि0) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0), नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि (वि0) नवलगढ़, झुन्झुनूं में कार्यरत है। आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक निदेशक कृषि (वि0) झालावाड़ निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर 500 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि आदेश शासन उप सचिव कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) द्वारा जारी किया गया है। जबकि इस नाम का कोई पद नहीं है। आगे तर्क दिया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है एवं आलौच्य आदेश में सक्षम स्तर से अनुमति लिये जाने का अंकन नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी जिला झुन्झुनूं में कार्यरत है उसके दो बच्चे अध्ययनरत है और आलौच्य आदेश में यात्रा भत्ता एवं योगकाल का भी अंकन नहीं किया गया है। अतः आलौच्य आदेश खारिज करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री संजीव सिंघल द्वारा निवेदन किया गया कि आदेश नियमानुसार सक्षम अनुमोदन के पश्चात प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। उनका कथन है कि आदेश शासन उप सचिव कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) द्वारा जारी किया गया है। जबकि इस नाम का कोई पद नहीं है। अपीलार्थी के इस तर्क से हम सहमत नहीं है क्योंकि इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जहां तक राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन किये जाने का प्रश्न है, तो हम पाते हैं कि *मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा एवं जल अभियोजन निराकरण विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया हुआ है।* इस आधार पर आलौच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश में सक्षम स्तर से सहमति का अंकन नहीं है। हमारा यह मानना है कि कोई निर्णय/आदेश तभी अनुमोदित किया जाता है जब सम्बन्धित प्राधिकारी उससे सहमत हो। अपीलार्थी की पत्नी झुन्झुनूं में पदस्थापित है। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिया जाना चाहिए। यात्रा भत्ता एवं योगकाल का अंकन नहीं होने पर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल प्रदान किया जावे।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य